न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 126/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 30.05.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

किशनलाल पुत्र श्री गणपत आयु 90 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम लसेडिया कलां, तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

.....अपीलान्ट,

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा राज0
2. ग्राम पंचायत कमोलर, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा राज जरिये सचिव

.....रेस्पो0

उपस्थित : श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया, अभिभाषक –अपीलांट
श्री भुवनेश कुमार शर्मा, अभिभाषक– रेस्पो0 क्र. 2
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 1

::निर्णय::

दिनांक 27.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण सं0 73/2022 उनवान किशनलाल बनाम राजस्थान सरकार वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2023 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष पटवार मण्डल कमोलर, ग्राम लसेडियाकलां, की पालना रिपोर्ट (मौका पर्चा) दिनांक 23.06.2022 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण में किसी आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं कर पर्चा मौका के विरूद्ध पेश करने पर पर्चा मौका किसी आदेश की श्रेणी में नहीं होने से निर्णय दिनांक 30.01.2023 से अपील अपीलांट खारिज की गई।

अति. संभागीय आयुक्त
27/3/2025

2. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 30.01.2023 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश करन कथन किया गया कि अपीलान्ट के पिता श्री गणपत वल्द भोलू ग्राम लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा के निवासी थे, उनके द्वारा ग्राम लसेडिया कलां में उनके कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नं0 616/223 की रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 221 की रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 325/219 की रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा को निजामत सांगोद से उक्त जमीन को नौताड करने की इजाजत मांगी गई, जिस पर दिनांक 23.06.1951 को इन्तकाल सं० 398 से उपरोक्त वर्णित आराजी को नौताड दर्ज करने की ईजाजत देकर मौका देखने का आदेश दिया गया तथा अन्त में दिनांक 12.03.1952 को उक्त जमीन में से 2 बीघा कृषि आराजी को नौताड करने की दी नई तथा उसके पश्चात उक्त कृषि आराजी की किस्म को भी चाह में परिवर्तित करने की ईजाजत दी नई, इस प्रकार निजामत सांगोद द्वारा अपीलान्ट के पिता गणपत जी को उक्त जमीन फाडकर अर्थात नौताड कर काश्त करने की ईजाजत दी गई, उसके पश्चात से ही अपीलान्ट के पिता उक्त कृषि आराजी एवं शेष आराजी पर अपने जीवनपर्यन्त काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र किशनलाल अर्थात अपीलान्ट उक्त कृषि आराजी को काश्त करता चला आ रहा है। सेटलमेन्ट के बाद उक्त कृषि आराजी खसरा नं० 616/223 की रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 221 की रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 215, 216, 217, 219 बनाये गये तथा उसके बाद दूसरे सेटलमेन्ट के दौरान खसरा नं0 215, 216, 217, 219 के नये खसरा नम्बर 409 रकबा 2.04 है० एवं खसरा नं0 410 रकबा 0.61 है0 बनाये जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये, परन्तु खसरा नं0 409 की भूमिं को सेटलमेन्ट के दौरान किस्म परिवर्तित करते हुये चारागाह दर्ज कर दिया गया, तथा खसरा नं0 410 की भूमिं को अपीलान्ट के पिता के खाते दर्ज कर दिया गया तथा अपीलान्ट के पिता के देहावसान के उपरान्त अपीलान्ट के खाते दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा काश्त की जा रही कृषि आराजी के खसरा नम्बर 409 की रकबा 0.81 है, एवं खसरा नं0 410 की रकबा 0.61 है0 में से 0.16 है० आराजी पर काबिज है। वर्तमान खसरा नम्बर 409 की आराजी का इन्तकाल सहवन से न तो अपीलान्ट के पिता के नाम पर खोला गया और न ही अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट के नाम पर खोला गया है। अपीलान्ट उक्त आराजी पर लगभग 50 वर्षों से काश्त करता चला आ रहा है, इसके उपरांत भी उक्त आराजी की किस्म बदलकर चारागाह अंकित कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी माननीय न्यायालय ए.डी.एम. कोटा के समक्ष प्रकरण सं0 13/87 प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ए.डी.एम. कोटा द्वारा दिनांक 31.12.1987 को निर्णय पारित करते हुये ग्राम पंचायत कमोलर का निर्णय दिनांक 06.03.1987 व पंचायत समिति का आदेश दिनांक 26.10.1987 निरस्त कर दिया गया था तथा अपीलान्ट का उक्त जमीन पर कब्जा मानते हुये पुनः जांच करने के आदेश पारित किये गये थे तथा माननीय न्यायालय के पारित निर्णय की अपील आज दिनांक तक ना तो ग्राम पंचायत कमोलर द्वारा की गई और ना ही पंचायत समिति सांगोद द्वारा कि गई तथा अपीलान्ट निरंतर अपने खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा था, परन्तु ग्राम पंचायत कमोलर द्वारा तहसीलदार सांगोद के समक्ष आग्रह किये जाने पर तहसीलदार सांगोद द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय

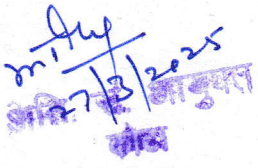

दिनांक 31.12.1987 एवं न्यायालय एस.डी.ओ. सांगोद के स्थगन आदेश दिनांक 13.07.2021 के विरूद्ध जाकर अपीलान्ट की कब्जे काश्त की भूमि को अतिक्रमण मानकर अपीलान्ट को उसके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि से भी बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायालय तहसीदार सांगोद द्वारा की गई समस्त कार्यवाही विधि विरुद्ध कार्यवाही के विरुद्ध माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपीलान्ट की अपील को निरस्त कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलान्ट की कृषि आराजी की किस्म पूर्व में काजू थी परन्तु सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट अपीलान्ट की कृषि आराजी की किस्म परिवर्तित करते हुये चारागाह दर्ज कर दी जबकि अपीलान्ट के पिता द्वारा जीवन पर्यन्त उक्त कृषि आराजी पर काश्तकारी की गई तथा अपीलान्ट भी उक्त कृषि आराजी को लगभग 50 वर्षों से काश्त करता चला आ रहा है तथा तहसीलदार सांगोद द्वारा न्यायालय एस.डी.ओ. सांगोद के स्थगन आदेश के बावजुद भी अपीलान्ट को उसकी कृषि आराजी से बेदखल कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 23.06.2022 एवं दिनांक 30.01.2023 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 अभिभाषक एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम लसेडियाकलां खसरा नं0 409 की भूमिं को सेटलमेन्ट के दौरान किस्म परिवर्तित करते हुये चारागाह दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नं0 410 की भूमिं को अपीलान्ट के पिता के खाते दर्ज कर दिया गया एवं अपीलान्ट के पिता के देहावसान के उपरान्त अपीलान्ट के खाते दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा काश्त की जा रही कृषि आराजी के खसरा नम्बर 409 की रकबा 0.81 है, एवं खसरा नं0 410 की रकबा 0.61 है0 में से 0.16 है० आराजी पर काबिज है। वर्तमान खसरा नम्बर 409 की आराजी का इन्तकाल सहवन से न तो अपीलान्ट के पिता के नाम पर खोला गया और न ही अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट के नाम पर खोला गया है। अपीलान्ट उक्त आराजी पर लगभग 50 वर्षों से काश्त करता चला आ रहा है, इसके उपरांत भी उक्त आराजी की किस्म बदलकर चारागाह अंकित कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी माननीय न्यायालय ए.डी.एम. कोटा के समक्ष प्रकरण सं0 13/87 प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ए.डी.एम. कोटा द्वारा दिनांक 31.12.1987 को निर्णय पारित करते हुये ग्राम पंचायत कमोलर का निर्णय दिनांक 06.03.1987 व पंचायत समिति का आदेश दिनांक 26.10.1987 निरस्त कर दिया गया था तथा अपीलान्ट का उक्त जमीन पर कब्जा मानते हुये पुनः जांच करने के आदेश पारित किये गये थे तथा माननीय न्यायालय के पारित निर्णय की अपील आज दिनांक तक ना तो ग्राम पंचायत कमोलर द्वारा की गई और ना ही पंचायत समिति सांगोद द्वारा कि गई तथा अपीलान्ट निरंतर अपने खाते एवं कब्जे

27/3/2025

काश्त की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा था, परन्तु ग्राम पंचायत कमोलर द्वारा तहसीलदार सांगोद के समक्ष आग्रह किये जाने पर तहसीलदार सांगोद द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.1987 एवं न्यायालय एस.डी.ओ. सांगोद के स्थगन आदेश दिनांक 13.07.2021 के विरूद्ध जाकर अपीलान्ट की कब्जे काश्त की भूमि को अतिक्रमण मानकर अपीलान्ट को उसके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि से भी बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। योग्य दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलान्ट की कृषि आराजी की किस्म पूर्व में काजू थी परन्तु सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट अपीलान्ट की कृषि आराजी की किस्म परिवर्तित करते हुये चारागाह दर्ज कर दी जबकि अपीलान्ट के पिता द्वारा जीवन पर्यन्त उक्त कृषि आराजी पर काश्तकारी की गई तथा अपीलान्ट भी उक्त कृषि आराजी को लगभग 50 वर्षों से काश्त करता चला आ रहा है तथा तहसीलदार सांगोद द्वारा न्यायालय एस.डी. ओ. सांगोद के स्थगन आदेश के बावजुद भी अपीलान्ट को उसकी कृषि आराजी से बेदखल कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सेटलमेंट की त्रुटि के संबंध में नियमित वाद अधीनस्थ न्यायालय में जेरकार है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 23.06.2022 एवं दिनांक 30.01.2023 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे बेदखल किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. रेस्पो0 क्र. 2 के अभिभाषाक के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अपीलांट खातेदार नहीं है, केवल अतिक्रमी है। प्रश्नगत आराजी की किस्म चारागाह होने से अपील पोषणीय नहीं है। चारागाह की भूमि होने से यदि सेटलमेंट की त्रुटि हो तो सेटलमेंट अधिकार की दुरूस्ती हेतु वाद दायर किया जाना चाहिए। अतः अपील पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

7. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/साक्ष्य पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्र. 2 अभिभाषक एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष पटवार मण्डल कमोलर, ग्राम लसेडियाकलां, की पालना रिपोर्ट (मौका पर्चा) दिनांक 23.06.2022 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75

अति. आयुक्त
कोटा

अन्तर्गत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण में किसी आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं कर पर्चा मौका के विरूद्ध पेश करने पर पर्चा मौका किसी आदेश की श्रेणी में नहीं होने से निर्णय दिनांक 30.01.2023 से अपील अपीलांट खारिज की गई। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रश्नगत प्रकरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, क्योंकि दिनांक 23.06.2022 का मौका पर्चा रिपोर्ट आदेश की श्रेणी में नहीं आता। अपीलांट के अनुसा भू–प्रबंध की त्रुटि के संबंध में नियमित वाद अधीनस्थ न्यायालय में जेरकार है। अपीलांट के अधिकार नियमित वाद में तय होने है। मौका पर्चा रिपोर्ट के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण सं0 73/2022 उनवान किशनलाल बनाम राजस्थान सरकार वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2023 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/3/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागायुक्त
कोटा